



प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6**लखनऊ : दिनांक 14 सितम्बर, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं०-57/83 के अंतर्गत सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, मुरादाबाद एवं वाराणसी मण्डल क्षेत्रों के कतिपय जनपदों के कुल 12 सेतुओं के चालू कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (सेतु विंग), लो०नि०वि०, लखनऊ के कतिपय पत्रांक (तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं०-57/83 के अंतर्गत सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, मुरादाबाद एवं वाराणसी मण्डल क्षेत्रों के कतिपय जनपदों के कुल 12 सेतुओं के चालू कार्य हेतु निम्नानुसार रू० 506.68 लाख (रूपये पांच करोड़ छः लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू० लाख में)

क्र० सं०	कार्यालय मुख्य अभियंता (सेतु विंग) का पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत/ प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	आवंटन धनराशि		
								अनुदान सं०-57	अनुदान सं०-83	योग (9+10)
1	24449/CE-SEB/RVB/SAH/2026-27 Dt- 21-08-2026	नि.ख.-3 सहारनपुर	जनपद सहारनपुर के सरसावा से बिन्नाखेडी चौरा दुमझेडी, दुमझेडा, नल्हेडा होते हुए धौलाहेडी मार्ग के कि०मी०-12 में 3/33/0 बॉक्स कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	143/2026/आई/128 0171 /202 6/23-60 99/ 97/2026-दि० 2 5-03-26	135.07 135.07 1.15 133.92	50.41	83.51	51.21	13.79	65.00
2	24453/CE-SEB/RVB/MRT/2026-27 Dt- 21-08-2026	प्रा.ख. मेरठ	जनपद मेरठ में मवाना फलावदा मार्ग से गडीना वाया सनौता भोजीपुर मार्ग के कि०मी० 3 में छोईया नाले पर स्थित क्षतिग्रस्त सेतु का पुनः निर्माण एवं एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य।	125/2026/आई/127 5400/2026/23-60 99/93/2026-दिनां क- 21-03-2026	64.30 64.30 6.00 58.30	0.65	57.65	27.58	7.42	35.00
3	24595/CE-SEB/RVB/ALI/2026-27 Dt- 01-09-2026	नि.ख.-1 अलीगढ़	जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़ शहर बाईपास मार्ग के कि०मी०-6 में क्षतिग्रस्त लघु सेतु का पुनःनिर्माण कार्य।	315/2025/आई/113 0309/2025/23-60 99/184/2025-दिनां क-31-10-2025	105.94 105.94 0.90 105.04	3.59	101.45	70.91	19.09	90.00
4	24332/CE-SEB/RVB/KNP/2026-27 Dt- 14-08-2026	प्रा.ख. इटावा	जनपद इटावा में बीबामऊ (मानिकपुर) से महामई ग्राम में सिरसा नदी पर 5X6.00x5.00 मी० स्पान आर०सी०सी० (बॉक्स कल्वर्ट) लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	197/2026/आई/128 5782/2026/23-60 99/127/2026-दिनां क-31-03-2026	279.36 279.36 279.36 0.50 278.86	3.48	275.38	19.23	5.18	24.41
5	तदैव	नि.ख.-1 कानपुर देहात	करसा से बिलसराया मार्ग में 1x8 मीटर स्पान का लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	302/2025/आई/112 7658/2025/23-60 99/172/2025-दिनां क-30-10-2025	57.52 57.52 0.01 57.51	54.63	2.88	2.27	0.61	2.88

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6	24334/CE-SEB/RVB/MBD/2026-27 Dt- 14-08-2026	प्रा.ख. बिजनौर	जनपद बिजनौर में बदार्थू बिजनौर मार्ग(राज्य मार्ग-51) के किमी0-194 में छोईया नदी पर 15 मी0 स्पान के 2 दर के लघु सेतु, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	61/2020/344/23-10-20-79(Setu)/2019, Dt. 27.03.2020	335.07 335.07 0.05 335.02	318.27	16.75	13.2	3.55	16.75
7	तदैव	प्रा.ख. अमरोहा	जनपद अमरोहा में रामगंगा फीडर चैनल मार्ग के जाजरू मार्ग (ग्रामीण मार्ग) पर रामगंगा फीडर चैनल पर (3x19मी0) लघु सेतु का निर्माण तथा पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	342/2025/आई/1145110/2025/23-6099/167/2025-दिनांक-17-11-2025	583.97 583.97 22.03 561.94	12.39	549.55	39.40	10.60	50.00
8	तदैव	प्रा.ख. अमरोहा	जनपद अमरोहा में धनौरा-शेरपुर मार्ग (अ0जि0मा0) पर रामगंगा फीडर चैनल पर (3X19 मी0) लघु सेतु का निर्माण तथा पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	110/2026/आई/1271358/2026/23-6099/106/2026-दिनांक-18-03-2026	598.77 598.77 1.63 597.14	7.21	589.93	41.36	11.14	52.50
9	24451/CE-SEB/RVB/VNS/2026-27 Dt- 21-08-2026	प्रा.ख. वाराणसी	जनपद वाराणसी में विधानसभा शिवपुर में फुलवरिया दनियालपुर पिसौर के बीच वरूणा नदी पर पान्द्रन पुल निर्माण।	160/2023/941/001-941-23-10-2023-37-सा0-2023-दिनांक-06-09-2023	81.91 81.91 13.15 68.76	65.32	3.44	2.71	0.73	3.44
10	24603/CE-SEB/RVB/VNS/2026-27 Dt- 01-09-2026	प्रा.ख. जौनपुर	जनपद जौनपुर में वि0ख0-महाराजगंज के ग्राम घुसकुरी व बगौझर चौहान बस्ती नाले पर बॉक्स कल्वर्ट, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य।	127/2026/आई/1275391/2026/23-6099/99/2026-दिनांक-21-03-2026	62.78 62.78 0.28 62.50	0.80	61.70	43.69	11.76	55.45
11	तदैव	प्रा.ख. जौनपुर	जनपद जौनपुर में गुलालपुर, तेतारपुर में विजय फार्मसी के पास नाले पर बॉक्स कल्वर्ट, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य।	127/2026/आई/1275391/2026/23-6099/99/2026-दिनांक-21-03-2026	92.42 92.42 0.20 92.22	1.37	90.85	64.32	17.31	81.63
12	24615/CE-SEB/RVB/VNS/2026-27 Dt- 02-09-2026	प्रा.ख. जौनपुर	जनपद जौनपुर में वि0ख0 बदलापुर के अन्तर्गत गोमती नदी पर गजेन्द्रपुर ब्राम्हण एवं मल्लाह बस्ती के बीच पान्द्रन सेतु के निर्माण कार्य।	299/2025/आई/1126438/2025/23-6099/170/2025-दिनांक-29-10-2025	59.38 59.38 0.05 59.33	29.69	29.64	23.34	6.28	29.62
कुल योग								399.22	107.46	506.68

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- (3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।
- (6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। वर्तमान आबंटन के आधार पर लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को व्यय नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 3,99,22,000 (रुपये तीन करोड़ नित्यानबे लाख बाईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,07,46,000 (रुपये एक करोड़ सात लाख छियालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शेषनाथ)

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
- (3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
- (4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
- (5) वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
- (7) संबंधित कोषाधिकारी।
- (8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
- (9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
- (10) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट, लोक निर्माण विभाग ।
- (11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शेषनाथ)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।